निगरानी 666-PBR-15

समक्ष- माननीय न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर म॰ प्र॰

रा॰ नि॰ क्र /15

मौजा बदनूरढाना

राजेन्द्र वार्ड गंज बैतूल

बाबूलाल शर्मा पिता नानू राम शर्मा, उम्र 59 वर्ष
जाति ब्राम्हण नि॰ अग्गूढाना किोवा नगर बैतूल
हाल निवासी- मुरलीपुरा स्किम ,डी-204, डी-
205, जयपुर राजस्थान —रिवीजनकर्ता

विरूद्ध

1-सर्व साधारण

2- प्रदीप पिता एन कुमार तिवारी

3-दिलीप पिता एनकुमार तिवारी

दोनो निवासी राजेन्द्र वार्ड बैतूल गंज बैतूल

--गैर रिवीजनकर्ता गण

श्री के॰ के॰ सक्सेना एडवोकेट द्वारा आज दि॰ 1-4-15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 666–पीबीआर/15 जिला बैतूल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–6–2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार, बैतूल के आदेश दिनांक 26–3–2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक की ओर से व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर वंशवृक्ष दर्शाकर वंशवृक्ष के सभी व्यक्तियों को पक्षकार बनाये जाने का अनुरोध किया गया है । इस सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा निकाला गया इस आशय का निष्कर्ष पूर्णतः विधिसंगत है कि स्वर्गीय किशनलाल शर्मा की मृत्यु उपरान्त उसकी पत्नी एकमात्र वारिस कलावती अनुसूची वर्ग–1 की उत्तराधिकारी है, और अनुसूची वर्ग–1 के उत्तराधिकारी के जीवित रहते अनुसूची वर्ग–2 का प्रश्नाधीन भूमि में कोई हित निहित नहीं रहता है, और वह हितबद्ध पक्षकार नहीं है । वंशवृक्ष से यह स्पष्ट नहीं है कि उसमें दर्शाये गये व्यक्ति अनुसूची वर्ग– 1 के वारिस हैं । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	